

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 190/2015
संस्थित दिनांक-23.04.2015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र-अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.**अभियोजन**

वि रु द्ध

1. वीरसिंह पिता ढोबड़ा भील,
आयु-25 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी
निवासी ग्राम ग्राम खरबैड़ी, थाना गंधवानी
जिला धार
2. खीमन पिता तुसू भील,
आयु-22 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी,
निवासी-ग्राम खरबैड़ी, थाना गंधवानी
जिला धार

.....**आरोपीगण**

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
आरोपीगण द्वारा	- श्री बी.के. सत्संगी अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-
(आज दिनांक 30/10/2015 को घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 11/15 में फरियादी पारसमल जैन द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर भा.द.सं. की धारा-457, 380 का अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.01.15 को पारसमल जैन ने थाना अंजड़ में आकर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह अंजड़ में रहता है और उसकी बेटी रानी इंदौर में पढ़ाई करती है, वह पिछले एक माह से इंदौर आया था, उसके पास राजेश गुप्ता का फोन आया था कि उसके मकान में चोरी हो गयी है और ताला टूटा है, तो वह परिवार सहित वापस अंजड़ आया था, घर जाकर देखा तो बाहर दरवाजे का नकुचा टूटा हुआ था, अंदर अलमारियां टूटी होकर सामान बिखरा तथा अलमारी के अंदर देखा तो 3 सोने के टॉप्स, 2 सोने की अंगूठी, 1 सोने की चुड़ी, 1 चांदी का गिलास, 1 चांदी का दीया, 1 चांदी का झुमका, 2 चांदी के पाटले,

3 जोड़ चांदी की पायल, , 3 जोड़ चांदी की बिछोड़ी, नकद लगभग 20,000/-रुपये 5 साड़ियां, 1 बेडशीट, 2 कुर्ते पजामे के कपड़े, कंबल, स्टील के बर्तन, कैमरा आदि लगभग 80,000/-रुपये का सामान चोर चुराकर ले गये थे, जिसको आसपास तलाश करने पर नहीं मिले । पारसमल जैन की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना अंजड़ में अपराध कमांक 11/15 दर्ज किया गया । विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया तथा घटनास्थल से पड़ा हुआ एक बॉस का डंडा खून लगा जप्त कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर, उनकी सूचना के आधार पर नकद रुपये 500-500/- जप्त कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

4. उक्त अनुसार अभियुक्तों पर भा.द.सं. की धारा-457, 380 के आरोप लगाये जाने पर तथा भा.द.सं. की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तों के कथन हैं कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फँसाया गया है, फरियादी ने घटना की झूठी रिपोर्ट की गयी है, लेकिन अभियुक्तों ने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या दिनांक 20.01.15 की मध्य रात्रि में राजेश जिनिंग के सामने, बड़वानी रोड़ अंजड़ में फरियादी पारसमल जैन के मकान में जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व दरवाजे का ताला तोड़कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार हुआ एवं वहां रखी संपत्ति का सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से बेईमानीपूर्वक चोरी हुई ?
2	क्या उक्त रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार एवं चोरी अभियुक्तों द्वारा की गयी थी ?

:- साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी फरियादी पारसमल जैन (अ.सा.1), गोपीलाल यादव (अ.सा.2), कमल यादव (अ.सा.3), जगदीश कलमें (अ.सा.4), सोमा (अ.सा.5), राजेश मंडलोई (अ.सा.6), किशन (अ.सा.7) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी फरियादी पारसमल जैन (अ.सा.1) का कथन है कि वह इंदौर में था, उसे मकान मालिक राजेश गुप्ता का प्रातः फोन आया था कि उसके घर पर रात में चोरी हो गयी है और घर के आगे का ताला टूटा हुआ है और सामान बिखरा है और दोनों तिजोरी भी खुली हुई है, वह घटना की

सूचना पाकर अपने घर आया था और देखा कि चोर उसके घर से नकद रुपये 20,000/-, की की सोने की दो झुमकी, दो अंगूठियां, सोने की एक चुड़ी, चांदी का एक गिलास एवं चांदी का एक दीया तथा चांदी की पायल तथा बिछोड़ी चोरी करके ले गये थे, उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड़ पर लेखबद्ध की गयी, जो प्र.पी.1 की है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने नक्शा मौका पंचनामा प्र.पी.2 का बनाया था, घटनास्थल से 1 बॉस का डंडा जिस पर खून लगा था, जप्त किया था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि उसके निवास स्थान में दरवाजे का ताला तोड़कर मध्य रात्रि के समय रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार एवं वहां रखे सामान की चोरी की घटना कारित नहीं हुई थी ।

8. साक्षी सोमा (अ.सा.5), राजेश मंडलोई (अ.सा.6) ने भी साक्षी पारसमल जैन के निवास स्थान में दरवाजे का ताला तोड़कर मध्य रात्रि के समय चोरी होने की घटना के संबंध में कथन किये गये हैं । उक्त साक्षियों का प्रतिपरीक्षण बचाव-पक्ष की ओर से नहीं किया गया है । इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को उक्त स्थान एवं समय पर फरियादी पारसमल जैन के निवास स्थान में मध्य रात्रि के समय दरवाजे का ताला तोड़कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार एवं वहां रखी उक्त सोने-चांदी की ज्वेलरी एवं नकद 20,000/-रुपये की चोरी हुई थी ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का निराकरण :-

9. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में जगदीश कलमे (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 21.01.15 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 11/15 की केस-डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटनास्थल पारसमल जैन के मकान के पास एक बॉस का डंडा लम्बाई 5 फीट प्र.पी.9 के अनुसार जप्त किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने पारसमल जैन के बताने पर प्र.पी.2 का नक्शा-मौका बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा फरियादी पारसमल जैन के कथन उसके बताए अनुसार लिये थे । उसने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया था । अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी थी (इस साक्षी के कथन में अभियुक्तगण द्वारा चोरी करने की स्वीकारोक्ति का कथन आया है, लेकिन 'साक्ष्य अधिनियम 1872' की धारा-25 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त कथन अभियुक्तों की संस्वीकृति का होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, इस कारण उक्त कथन का उल्लेख नहीं किया जाएगा) अभियुक्त खीमन ने उसे यह बताया था कि सोने की अंगूठी उसके खले में छिपाकर रखी है, जिसका मेमोरेंडम प्र.पी.5 का तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, वह अभियुक्त वीरसिंह एवं खीमन को लेकर उनके गांव खरबैड़ी पहुंचा था, अभियुक्त वीरसिंह ने उसके घर की पेटी के अंदर छिपाकर रखे हुए रुपये 500/- जप्त कराये थे, जप्ती पंचनामा प्र.पी.8 का है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । जप्त लकड़ी की पहचान किशन पिता सीताराम यादव से करायी थी, पंचनामा प्र.पी.3 का बनाया था, अभियुक्तों ने वह स्थान बताया था जहां पर उन्होंने चोरी की थी, मेमोरेंडम प्र.पी.4 का बनाया था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि किसी भी साक्षियों ने अपने कथनों में अभियुक्तों का नाम नहीं बताया था एवं रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि कमल एवं गोपीलाल के समक्ष कोई जप्ती

नहीं की थी अथवा वह असत्य कथन कर रहा है ।

10. साक्षी किशन (अ.सा.7) का कथन है कि लगभग 8 माह पूर्व उसके घर और दुकान में अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी की थी और उसके साथ बॉस के डंडे से मारपीट कर चोट पहुंचाई थी, जिससे उसे खून निकला था, पुलिस ने उक्त डंडे की पहचान थाना अंजड़ में उससे करायी थी, पहचान पंचनामा प्र.पी.3 का है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि पुलिस ने उसे डंडा नहीं दिखाया था अथवा कोरे पंचनामे पर हस्ताक्षर किये थे । साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह असत्य कथन कर रहा है ।

11. साक्षीगण गोपीलाल (अ.सा.2), कमल (अ.सा.3) अभियुक्तों के जप्ती पंचनामे एवं मेमोरेंडम के साक्षीगण हैं, लेकिन उक्त दोनों साक्षियों ने पुलिस द्वारा उनके समक्ष अभियुक्तों से कोई पूछताछ करना या उनके सामने अभियुक्तों से कोई जप्ती होने से स्पष्ट इन्कार किया है, अभियोजन मामले का खंडन किया है । अभियोजन की ओर से साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि पुलिस ने उनके समक्ष अभियुक्तों से पूछताछ की थी अथवा अभियुक्तों से उनके सामने 500-500/-रुपये के दो नोट जप्त किये थे, साक्षियों ने प्र. पी.3 से प्र.पी.8 के पंचनामे पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं, लेकिन उस पर लिखे तथ्यों की सत्यता से स्पष्ट इन्कार किया गया है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने पुलिस के कहने से थाने पर हस्ताक्षर किये थे और पुलिस ने उनके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी ।

12. ऐसी स्थिति में जबकि मेमोरेंडम एवं जप्ती पंचनामे के साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है, यहां तक कि प्रकरण में चोरी की संपत्ति भी अभियुक्तों के पास से विवेचना अधिकारी जगदीश कलमे (अ.सा.4) द्वारा जप्त नहीं की गयी है, बल्कि 500-500/-रुपये के दो नोट जप्त किये गये हैं, उक्त जप्त किये गये रुपये फरियादी की ही संपत्ति थी, इस संबंध में कोई भी साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है, ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तों ने उक्त घटना दिनांक, स्थान एवं समय पर फरियादी पारसमल जैन के निवास स्थान का ताला तोड़कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार एवं वहां रखी संपत्ति की चोरी कारित की थी, ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-457, 380 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है । अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण खीमन पिता दुसू भील, आयु-22 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी एवं वीरसिंह पिता ढोबड़ा भील, आयु-25 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी दोनों निवासी-ग्राम खरबैडी, थाना गंधवानी जिला धार को भा.द.सं. की धारा-457, 380 के अपराध से दोषमुक्त घोषित करता है ।

13. अभियुक्तगण अभिरक्षा में हैं, उनका रिहाई आदेश जारी किया जाए। प्रकरण में जप्त संपत्ति रुपये 500/- के दो नोट अभियुक्तों से जप्त हुए हैं, जो चोरी की संपत्ति होना प्रमाणित नहीं हुए हैं, अतः उक्त दोनों में से एक-एक 500/- का नोट अभियुक्तों को वापस किया जाए, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

14. अभियुक्तगण के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाये जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.